

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 7, सोमवार, शाके 1933-नवम्बर 28, 2011 Agrahayana 7, Monday, Saka 1933-November 28, 2011		

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी  
आदेश तथा अधिसूचनाएं।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 25, 2011

एस. ओ. 138 :- राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ 14(5) उद्योग/1/2011 दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार 1 दिसम्बर, 2011 को इसके द्वारा उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको 1 करोड़ रुपये से अधिक के विनिधान के प्रस्ताव के लिए उक्त अधिनियम के उपबंध राज्य के समस्त जिलों में प्रवृत्त होंगे।

[संख्या एफ. 14(5)उद्योग/1/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मोहन लाल यादव,

शासन उप सचिव।

### INDUSTRIES (GR-1) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Jaipur, November 25, 2011

S.O. 138 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011) and in supersession of this department's notification number F.14(5)Udyog/1/2011 dated April 1, 2011, the State Government hereby appoints December 1, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in all districts of the State for the proposal of investment above Rs. 1 Crore.

[No. F.14(5) Udyog/1/2011]

By Order of the Governor,

Dr. Mohan Lal Yadav,

Deputy Secretary to the Government.